

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री का नधिन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वरिष्ठ राजनेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में नधिन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे।

मुख्य बदि:

- वह वर्ष 2005 से 2013 और वर्ष 2017 से 2020 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे।
- वह **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ** के आजीवन सदस्य रहे
- उन्हें जुलाई वर्ष 2011 में **वस्तु एवं सेवा कर** के कार्यान्वयन के लिये **राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष** नियुक्त किया गया था।

उपमुख्यमंत्री

- भारत में उपमुख्यमंत्री का पद **???** **??????????** **??** **????** है, बल्कि किसी पार्टी के भीतर **??????????** **??** **??????** **??** **????** **??** **????** **??** **????** है।
- वह रैंक और भत्तों के मामले में एक **????????** **????????** **??** **????????** होता है लेकिन उसके पास **???** **????????** **????????** **??** **????????** **??** **????????** **??** **????** होती है।
- उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना होता है और अपने पोर्टफोलियो से संबंधित किसी भी निर्णय के लिये उसकी स्वीकृति लेनी होती है।
- उपमुख्यमंत्री के पास उन फाइलों या मामलों तक पहुँच नहीं है जो मुख्यमंत्री के लिये हैं।
- न तो **अनुच्छेद 163** और न ही **अनुच्छेद 164(1)** में स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उल्लेख है।
 - **अनुच्छेद 163(1)** राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रपरिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - **अनुच्छेद 164(1)** नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।